लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014
महत्वपूर्ण/ अनुपालन
संख्या–1480 /नौ–1–14–33सा/09

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 27 मार्च, 2014

विषयः–लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2014 एवं विधान सभा उप निर्वाचन, 2014 के दृष्टिगत नगरीय निकायों के मतदेय स्थलों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं **(Basic Minimum Facilities)** के अन्तर्गत पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2014 एवं विधान सभा उप निर्वाचन, 2014 प्रदेश में दिनांक 10 अप्रैल, 2014 से प्रारम्भ होकर दिनांक 12 मई, 2014 तक 06 चरणों में सम्पादित होना है। प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर मतदान तिथि से पूर्व पीने के पानी की उचित व्यवस्था नागर निकाय द्वारा की जायेगी।

2. अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि मतदान तिथि से पूर्व मतदेय स्थलों पर आम जनमानस हेतु पीने के पानी का समुचित प्रबंध हो जाये। जिन पोलिंग स्टेशनों पर पाईप लाइन के माध्यम से व्यवस्था सम्भव न हो तो वहां पर हैण्ड पंप अथवा टेंकर के माध्यम से पीने के पानी की उचित व्यवस्था करायी जाये।

3. कृपया नागर निकायों के स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर मतदान तिथि से पूर्व पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। अपने जनपद में पीने के पानी की व्यवस्था के सम्बंध में निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रति सप्ताह प्रत्येक दशा में शासन एवं स्थानीय निकाय निदेशालय उ0प्र0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4. आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया मतदेय स्थलों पर पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में निर्धारित प्रारूप पर प्रथम रिपोर्ट दिनांक 30.03.2014 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/अनुपालन हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. **निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ** को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि समस्त जिलाधिकारियों से पीने के पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रथम रिपोर्ट प्राप्त कर शासन को प्रत्येक दशा में दिनांक 30.03.2014 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके साथ ही नियमित रूप से प्रति सप्ताह संलग्न प्रारूप पर रिपोर्ट भेजी जाय ताकि मुख्य सचिव महोदय को समय से सूचना भेजी जा सके। इस कार्य के लिए निदेशालय स्तर पर किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाकर अधिकृत कर दें कि वे शासन को संकलित सूचना यथासमय उपलब्ध करायें। कृपया इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश अपने स्तर से भी निर्गत करें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0 (द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय)
6. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. समस्त महाप्रबंधक, जल संस्थान/जल कल विभाग, उ0प्र0।
8. गार्ड बुक।
9. वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को इस निर्देश सहित प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को विभागीय साइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधित को ई—मेल किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

आज्ञा से,

27/3/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।

मतदान तिथि से पूर्व पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बंध में निर्धारित प्रारूप

क्र. सं.	जनपद का नाम	निकाय का नाम	कुल मतदान केन्द्रों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या जहां पीने की समुचित व्यवस्था है	ऐसे मतदेय स्थलों की संख्या जहां पीने के पानी की व्यवस्था नही है (दिनांक 29.03.2014 की स्थिति)			दिनांक 29.03.2014 के पश्चात् कृत कार्यवाही			अवशेष मतदान केन्द्र जहाँ अभी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है
					वृहद मरम्मत आवश्यक	लघु मरम्मत आवश्यक	उपलब्ध नहीं	वृहद मरम्मत की गई	लघु मरम्मत की गई	उपलब्ध कराई गई/व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12